

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी-शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

पीठासीन अधिकारी

:- श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

प्रार्थना पत्र सं०-

:- 48/2025

उनवान

1. कन्हैयालाल दुहारिया पुत्र रामनाथ दुहारिया, जाति बलाई, निवासी-77, दूसरा इनकम टेक्स कॉलोनी जयपुर, (राज०)
2. विजय वर्मा पुत्र कन्हैयालाल वर्मा, जाति बलाई, निवासी मकान नं०-77, कॉलोनी इनकम टेक्स कॉलोनी माडल टाउन शहर जयपुर, जिला जयपुर (राज०)
3. रामेश्वर वर्मा पुत्र भौरीलाल वर्मा, जाति बलाई, निवासी रामनगरीया, जगतपुरा, जयपुर जिला जयपुर (राज०)

- प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
2. मालीराम पुत्र नाथूराम जाति बलाई, निवासी बिचपुडी, तहसील-शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)
3. जगदीश पुत्र कालू
4. बट्टीप्रसाद पुत्र कालू
5. भैरूराम पुत्र कालू
6. मुरलीधर पुत्र कालू  
जाति गुर्जर, निवासी देवीपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
7. किशन पुत्र मुरली
8. बाच्छू पुत्र मुरली
9. रामेश्वर पुत्र मुरली
10. लड्डू पुत्र मुरली
11. श्याम सुन्दर पुत्र मुरली
12. पार्वती पुत्री मुरली  
जाति मीणा, निवासी बिचपुडी, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
13. किशन पुत्र भागीरथ
14. मुकेश पुत्र भागीरथ
15. मुरलीधर पुत्र भागीरथ
16. राधेश्याम पुत्र भागीरथ
17. गेंदी पत्नी घासी
18. सुरेश पुत्र घासी
19. रामजीलाल पुत्र परसादास
20. सोणा पुत्र परसादास  
जाति स्वामी, निवासी बिचपुडी, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
21. अजुमी रियल स्टेट प्रा० लि० रजि० ऑफिस 18 न्यू माता रोड संजय ग्राम गुंडगावा हरियाणा जरिये निदेशक संदीप कटारिया पुत्र जे.एस. कटारिया, जाति जाट निवासी न्यू माता रोड संजय ग्राम गुंडगावा हरियाणा।
22. कैलाश चन्द पुत्र घीसालाल
23. घीसालाल पुत्र रामेश्वर
24. दयानन्द पुत्र घीसालाल
25. वंशीधर पुत्र घीसालाल
26. सुभाष चन्द पुत्र घीसालाल  
जाति स्वामी, निवासी किशोरपुरा, तहसील-नीमकाथाना, जिला सीकर।



उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)



27. सरिता देवी पत्नि गिरिराज
28. रामा देवी पत्नि बालूराम
29. संतोष देवी पत्नि शंकर लाल  
जाति गुर्जर निवासी जगन्नाथपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
30. देवकरण पुत्र रामेश्वर जाति महाजन, निवासी अग्रवाल टेक्सटाईल करलापुरा मारवाडी आनन्द  
मार्केट दिल्ली
31. जगदीश पुत्र प्रभात जाति बलाई, निवासी बिचपुडी, तहसील-शाहपुरा, जिज्ञा जयपुर।  
- अप्रार्थीगण

**प्रा० पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956**

निर्णय दिनांक: .23.6.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 113/0.19, 114/0.23, 115/0.24, 1204/118/0.40, 1208/120/0.62 हैं कुल किता 5 कुल रकबा 1.68 हैं वाकै ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर कास्त करते चली आ रही है। आराजी ख० नं० 112/0.24, 1203/118/0.24, 1207/120/0.36 हैं कुल किता 3 रकबा 0.84 हैं वाकै ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी सं० 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर कास्त करते चली आ रही है। आराजी ख० नं० 110/0.24, 111/0.19, 1202/118/0.27, 1206/120/0.14 हैं कुल किता 4 रकबा 0.84 हैं वाकै ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी सं० 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थीगण की भूमि एक दूसरे के लगती हुई है व प्रार्थीगण के मध्य कोई विवाद नहीं है प्रार्थी सं० 1, 2 आपस में पिता पुत्र है। उक्त आ० ख० न० 113/0.19, 114/0.23, 115/0.24, 1204/118/0.40, 1208/120/0.62 हैं कुल किता 5 कुल रकबा 1.68 हैं वाकै ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक/टोकन नं. 2025/12668/1 व प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/0.24, 1203/118/0.24, 1207/120/0.36 हैं कुल किता 3 रकबा 0.84 हैं वाकै ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक/टोकन नं. 2025/12668/2 तथा प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 110/0.24, 111/0.19, 1202/118/0.27, 1206/120/0.14 हैं कुल किता 4 रकबा 0.84 हैं वाकै ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक/टोकन नं. 2025/12668/3 की पालना में पटवारी हल्का देवीपुरा द्वारा दिनांक 25.04.2025 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीया की भूमि को पडौसी काश्तकार से सीमा विवाद को समाप्त करने हेतु सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 25.4.2025 के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते हैं।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं न्यायालय उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 व 3 लगायत 31 की तामिल हो चुकी है जो बावजूद तामिल व सूचना के उपस्थित नहीं जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। दिनांक 25.04.2025 को प्रार्थीगण की भूमि का पटवारी हल्का देवीपुरा के द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि

उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)


अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते हैं। प्रार्थीगण के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नहीं होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि 113/0.19, 114/0.23, 115/0.24, 1204/118/0.40, 1208/120/0.62 है 0 कुल किता 5 रकबा 1.68 है 0 आराजी ख0नं0 112/0.24, 1203/118/0.24, 1207/120/0.36 है कुल किता 3 रकबा 0.84 है 0 तथा आराजी ख0नं0 110/0.24, 111/0.19, 1202/118/0.27, 1206/120/0.14 है कुल किता 4 रकबा 0.84 है 0 वाकै ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर वाकै ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नहीं करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक भूमिमाज्ञान दिनांक 25.04.2025 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नहीं हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.6.2025 को सरै इजलास सुनाया गया।



  
उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला-जयपुर (सी.ज.)  
शाहपुरा जिला जयपुर